अध्याय III: कोयला मंत्रालय

साऊथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

3.1 दीपका ओपेन कास्ट माइन में सतह खनिकों द्वारा उत्पादित कोयले के प्रेषण के लिए पे-लोडर तैनात न करना

100 मिमी से कम आकार के कोयले को क्रश करने की क्षमता से युक्त फीडर ब्रेकरों की सुविधा के माध्यम से पेलोडरों का नियोजन न करने के कारण एसईसीएल ने दीपका ओपेन कास्ट माइन पर सतह खनिक द्वारा उत्पादित 100 मिमी से कम आकार का 6.5 मिलयन टन कोयला प्रेषित किया जिसके कारण मौजूदा क्रश करने की सुविधा का लाभप्रद उपयोग करने और जून 2010 से मई 2011 के दौरान ₹ 12.76 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में विफल रही।

100 मिमी से ऊपर आकार के कोयले का विक्रय कोयला कम्पनियों के लिए हमेशा लाभप्रद होता है, क्योंकि पिट हेड कीमत के अतिरिक्त प्रति टन ₹ 61 के दर पर क्रशिंग प्रभार वसूली योग्य प्रति टन ₹ 39 की तुलना में ग्राहकों से तब वसूली योग्य है जब कोयले को 200 मिमी-250 मिमी आकार में क्रश किया जाता है। इसलिए कोयला कंपनियों की ओर से ₹ 22 प्रति टन के अतिरिक्त राजस्व के अर्जन के लिए 100 मिमी से कम आकार के कोयले का अधिक प्रेषण सुनिश्चित करना अनिवार्य था।

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के दीपका ओपेन कास्ट माईन (डीओसीएम) पर, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के परम्परागत प्रविधि के माध्यम से कोयला निकाला जा रहा था। निकाले गये कोयले को 100 मिमी से कम आकार अथवा 200 मिमी-250 मिमी आकार में लाने के लिए अतिरिक्त क्रशिंग की आवश्यकता थी। क्रशिंग और प्रेषण के लिए डीओसीएम फीडर ब्रेकरों का प्रयोग करती है। जून 2010 में, दीपका ओसी विस्तार परियोजना के अन्तर्गत लोअर कुसमुण्डा सीम में अन्य सथान पर 3 सतही खनिक नियोजित किए गए। सतही खनिक द्वारा निकाला गया कोयला पहले से ही 100 मिमी से कम आकार का था। इन्हें स्टॉक करने और किराये पर लिए गये पे लोडरों की मदद से इसे उपभोक्ता ट्रकों पर लादने की परिकल्पना की गई थी।

डीओसीएम द्वारा प्रेषित किए गये कोयले के रिकार्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चलता है कि 100 मिमी से कम आकार का सतही खनिक कोयला जो पे लोडरों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता ट्रकों को भेजा जा सकता था, उसे कोयले की क्रशिंग के लिए बने फीडर ब्रेकरों के माध्यम से भेजा जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप फीडर ब्रेकरों का अनार्थिक उपयोग हुआ। जून 2010 से मई 2011 के दौरान डीओसीएम ने 24.103 मिलियन टन (मि.ट.) कुल मात्रा का कोयला भिन्न-भिन्न ऊर्जा उत्पादक

कंपनियों एवं अन्य को प्रेषित किया जिसमें से केवल 13.502 मि.ट. 100 मिमी से कम आकार का था। इसके अतिरिक्त 100 मिमी से कम आकार के भेजे गए कुल 13.502 मि.ट. कोयले में से 6.52 मि.ट. कोयला ही वास्तव में सतही खनिक से उत्पादित किया गया था (पहले से ही 100 मिमी से कम आकार का), लेकिन सतही खनिकों द्वारा उत्पादित कोयले को प्रेषित करने के लिए पे-लेडरों की अनुपलब्धता के कारण इसे 100 मिमी से कम आकार के कोयले को क्रश करने की सुविधा वाले फीडर ब्रेकरों के माध्यम से भेजे गए। परिणामस्वरूप 100 मिमी से अधिक आकार वाले कोयले की क्रशिंग के लिए क्रशिंग क्षमता वाले फीडर ब्रेकरों का उपयोग नहीं किया जा सका। इस प्रक्रिया में, कंपनी ने ₹ 19.55[1] प्रति टन कोयले की दर से ₹ 12.76 करोड़[2] का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया।

मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2011) कि यद्यपि पेलोडरों की खरीद सहित निविदा आमंत्रण की पहल डीओसीएम द्वारा दिसम्बर 2010 में ही की गई थी, किन्तु प्रतिक्रिया की कमी और अतिउच्च दरों पर प्रस्ताव की प्राप्ति के कारण निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। मंत्रालय ने आगे कहा कि नियोजित विभागीय पे लोडरों के लिए प्रति टन लागत अतिरिक्त कोयले को 100 मिमी से कम आकार तक क्रश करने के लिए फीडर ब्रेकरों के उपयोग करने पर ₹14.60 अपेक्षित वृद्धिशील राजस्व के सापेक्ष ₹ 16.39 होता।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत संगत नहीं है क्योंकि प्रबंधन ने पे लोडरों के निविदा आमंत्रण के लिए दिसम्बर 2010 में ही कदम उठाया जहाँ दीपका ओसी विस्तार परियोजना रिपोर्ट में मार्च 2005 तक 2004-05 से 2008-09 तक पांचे वर्षों से अधिक 6 पे लोडरों की आवश्यकता की परिकल्पना की गई थी। इस प्रकार तथ्य यह है कि यद्यपि सतही खनिक जून 2010 में नियोजित किए गए थे, सतही खनिक द्वारा उत्खनिक कोयले के लदान के लिए अपेक्षित पे लोडरों को किराए पर लेने के लिए कार्रवाई दिसम्बर 2010 में ही शुरू की गई थी। विभागीय पे लोडरों के रूप में अतिरिक्त लागत के रूप में वृद्धिशील राजस्व अर्जन की अपेक्षा अधिक थे, उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि परिवर्तनीय लागत घटक ₹ 16.39 प्रति टन का केवल ₹ 9.85 प्रति टन था।

इस प्रकार, सतही खनिक द्वारा उत्पादित कोयले के प्रेषण के लिए पे लोडरों की अनुपलब्धता के कारण, कम्पनी ने जून 2010 से मई 2011 के दौरान ₹ 12.76 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया। हानि से बचने के लिए सतही खनिक द्वारा उत्पादित कोयले की निकासी के लिए प्रेषण स्थल पर कंपनी को तत्काल पे लोडरों को नियोजित करना चाहिए।

---

[1] ***100 एमएम तथा 250 एमएम आकार कोयले से कम क्रश किए गए कोयले को बेचने के लिए आय में अन्तर के रूप में ₹ 22.00 जमा फीडर ब्रेकर का उपयोग न करने के लिए प्रति टन बचाई गई परिवर्तनशील लागत के रूप में ₹ 7.40 घटा विभागीय पेलोडर के लिए अनुमानित परिवर्तनशील व्यय के रूप में ₹ 9.85 ₹ 19.55 प्रति टन के समान हैं।***

[2] ***6524988 टन कोयला गुणित ₹ 19.55 बराबर ₹ 12,75,63,515***

वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

3.2 उच्चतर दरों पर विद्युत प्रभारों का भुगतान

वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड ने 2007-08 से 2010-11 के दौरान विद्युत की घरेलू खपत के लिए सस्ती घरेलू दर का लाभ उठाने के बजाय औद्योगिक और गैर औद्योगिक दरों पर दो विद्युत बोर्डों से बिजली की खरीद पर ₹7.62 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत औद्योगिक प्रचालन करने वाले केन्द्रीय लोक उद्यम (सीपीएसईज) औद्योगिक यूनिटों के परिसरों के भीतर अवस्थित आवास काम्पलेक्सों में रहने वाले कर्मचारियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ दैनिक प्रचालनों के लिए राज्य सरकारों की बिजली वितरण कम्पनियों/बोर्डों से विद्युत लेते हैं। विद्युत टैरिफ औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक से भिन्न घरेलू खपत के लिए सामान्यता निम्नतर है। हाल में ही लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीएसईज की कुछ औद्योगिक यूनिटें औद्योगिक/वाणिज्यिक खपत के एकल विद्युत कनेक्शन से ऐसे आवास काम्पलेक्सों को बिजली की आपूर्ति कर रही थी जिससे भारी परिहार्य व्यय हुआ; लेखापरीक्षा इस प्रत्याशा के साथ संसद [1] के समक्ष रिपोर्टों में ऐसे मुद्दे उठा रही थी कि भारत सरकार (जीओआई) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप करेगी। तथापि, हमारे ध्यान में आया कि ऐसे मामले होते रहे और इसमें उन नोडल एजेन्सी जैसे जीओआई में लोक उद्यम विभाग द्वारा उपयुक्त एवं प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव प्रदर्शित होता है जिनके पास सीपीएसई को प्रभावित करने के मामले का समन्वय करने का अधिकार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि भारत सरकार के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालय ऐसे मामलों में उचित दृष्टिकोण अपनाते हैं जिससे परियोजनाओं और उसके प्रचालन की लागत में वृद्धि परिहार्य हो।

हाल ही में हमने पाया कि वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (कम्पनी) जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में खनन कार्यकलाप प्रचालित करती है और प्रत्येक राज्य में महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमएसईडीएल) और एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमपीपीकेवीवीसीएल) से विद्युत प्राप्त करती है, ने सस्ती बिजली का लाभ नहीं उठाया था।

लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल 2010) कि जबकि मध्य प्रदेश के पेंच और कान्हान क्षेत्रों में कम्पनी औद्योगिक और रिहायशी दोनों प्रयोजनों के लिए बिजली का उपयोग कर रही थी फिर भी पेंच क्षेत्र में 13 आपूर्ति कनेक्शन[2] और कान्हान क्षेत्र में 11 आपूर्ति कनेक्शन[3] के लिए रिहायशी कालोनी खपत के लिए कोई पृथक मीटरिंग व्यवस्था नहीं थी। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों ने औद्योगिक/गैर औद्योगिक/कोयला खदान श्रेणियों के लिए लागू उच्चतर टैरिफ दर पर कालोनी खपत के लिए भुगतान करना जारी रखा।

---

[1] **महानदी कोलफील्डस लिमिटेड और आईटीआई लिमिटेड से संबंधित 2002 की सीएजी की रिपोर्ट संख्या 3 के पैरा संख्या 4.3.1, 2007 की रिपोर्ट संख्या 12 के पैरा संख्या 5.3 संघ सरकार (वाणिज्यिक)**

[2] *नंदन इकहलेरा, भामोदी, चाँदमेता, बीडीसी टाउनशिप न्यूटाउन, रावनवारा, छिन्दा, शिवपुरी, भोकरा, झुरी, सीजीएम आफिस टाउनशिप, क्षेत्रीय वर्कशाप टाउनशिप एवं बारकुहि हास्पिटल टाउनशिप*

[3] *मोहन, सुकरी, जीएम यूनिट टाउनशिप, डाटला, डामुआ, राखीकोल, नंदन संख्या 1-2, तानदशी, कान्हान हास्पिटल टाउनशिप और पश्चिम बंगाल कार्यालय पुराने क्वार्टर*

इसीप्रकार, महाराष्ट्र में वानी एवं वानी उत्तर क्षेत्रों में चार आपूर्ति कनेक्शनों[1] की रिहायशी बिजली आवश्यकता का औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत बिल बनाया गया था जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर दरों पर बिजली बिलों का भुगतान हुआ। इस प्रकार औद्योगिक/गैर औद्योगिक/कोयला खदान से रिहायशी कनेक्शनों को घरेलू में परिवर्तन न करने के कारण कम्पनी घरेलू खपत के लिए लागू निम्नतर बिजली टैरिफ का लाभ उठाने में विफल रही और इस प्रकार 2007-08 से 2010-11 के दौरान ₹ 7.62 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्तूबर 2011) किः

- *पेंच एवं कान्हान क्षेत्रों में कोयला खदान श्रेणी (एचवी-2) से बल्क रिहायशी श्रेणी (एचवी-6) में परिवर्तन के लिए विद्युत प्राधिकारियों को आवेदन किया गया है । वानी और वानी उत्तर क्षेत्रों की चार कालोनियों के सम्बन्ध में रिहायशी श्रेणी में परिवर्तन के लिए कार्रवाई की गई है।*

- *300 केवीए भार से अधिक वाले पेंच एवं कान्हान क्षेत्रों की अधिकांश कालोनियों में 33 केवी कनेक्शन की आवश्यकता है जिसके लिए ओवरहेड लाइनों को पृथक मीटरिंग प्वाइन्टों के साथ औद्योगिक और घरेलू विद्युत लाइनों के पृथक्करण के साथ एमपीपीकेवीवीसीएल सब स्टेशन/फीडर से खींची जानी है। तत्काल सम्भावित प्राक्कलन के अनुसार कान्हान में व्यय की राशि लगभग ₹11.08 करोड़ और पेंच क्षेत्र में ₹10.84 करोड़ होगी। इसके अतिरिक्त श्रमबल के लिए कान्हान में ₹ 2 करोड़ और पेंच क्षेत्र में ₹ 2.27 करोड़ का वार्षिक व्यय करना होगा। पेंच एवं कान्हान क्षेत्र में प्रत्येक कालोनी प्वांइट के लिए व्यवहार्यता के लिए विस्तृत तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया जाएगा।*

- *कान्हान क्षेत्र की चार[2] कालोनियों के सम्बन्ध में एमपीपीकेवीवीसीएल ने परिवर्तन के लिए आवेदनों को लौटाया और स्पष्ट किया कि एचवी-6 (बल्क रिहायशी) कनेक्शन कोयला खदानों के लिए टैरिफ अनुसूची एचवी-2 के अनुसार कोयला खदान उद्योग के लिए लागू नहीं था।*

प्रबन्धन का उत्तर निम्नलिखित दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हैः

- तथापि, तथ्य रहता है कि प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने के बाद ही सभी आपूर्ति कनेक्शनों के लिए विलम्बित (अप्रैल 2011 से अक्तूबर 2011) परिवर्तन के लिए आवेदन दिया था।

- कम्पनी के पास वर्तमान में पर्याप्त अवसंरचना है जिसके माध्यम से रिहायशी कालोनियों में बिजली की खपत हो रही है। मिश्रित भार के मामले में वितरण कम्पनियों की टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार सब मीटर विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊर्जा प्रभारों को निकालने के लिए अपेक्षित है। अतएव, प्रबन्धन द्वारा दिए तर्क के अनुसार नयी अवसंरचना की मात्रा घरेलू कनेक्शन के लिए निम्नतर टैरिफ का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगी।

---

[1] ***सुन्दर नगर, कैलाश नगर, भाल्लार एवं कुम्बारखानी***

[2] ***घोरावारी कोयलरी संख्या1, घोरावारी कोयलरी संख्या 2, दामुआ नंदन और तानदर्शी***

- वास्तव में एचवी-6 (बल्क रिहायशी) के लिए टैरिफ अनुसूची श्रेणी के अनुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग और मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग दोनों की टैरिफ अधिसूचनाओं में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट है कि यह टैरिफ औद्योगिक अथवा घरेलू प्रयोजन के लिए अन्य टाउनशिप की आपूर्ति के लिए लागू है। इसके अतिरिक्त कम्पनी, कतिपय रिहायशी कालोनियों अर्थात कान्हान क्षेत्र में अमबारा कालोनी और वानी क्षेत्र में नाकोडा, में निम्नतर टैरिफ का पहले ही लाभ उठा रही है।

इस प्रकार, घरेलू कालोनियों की खपत के लिए लागू निम्नतर टैरिफ का लाभ उठाने में प्रबन्धन की विफलता के कारण कम्पनी ने 2007-08 से 2010-11 के दौरान ₹ 7.62 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। यह तथ्य कि कम्पनी की कुछ रिहायशी कालोनियाँ घरेलू खपत के आधार पर निम्नतर टैरिफ का लाभ उठा रही थी फिर भी कम्पनी को अन्य कालोनियों की स्थिति और नियामक आयोग दिशानिर्देशों की रूपरेखा में की गई अधिक सक्रिय कार्रवाई की समीक्षा करनी चाहिए। अब कम्पनी को घरेलू खपत के लिए विद्युत की निम्नतर दरें प्राप्त करने के लिए बिजली वितरण कम्पनियों के साथ गहन कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

कोयला मंत्रालय ने मई 2012 में एक्शन टेकन नोट भेजा जिसमें घरेलू खपत के लिए बिजली की कम दर प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में बताया गया।